



कार्यालय आयुक्त, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश

(म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग)
पूर्व खण्ड, चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004
दूरभाष 0755-2576751 ई-मेल आईडी ctemp.bpl@mp.gov.in, dte5.planning@mp.gov.in

/भोपाल, दिनांक 20/01/2026

:: स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/यो/05/के/2026/ 117

/मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेशियल पावर्स

2025 के भाग-1 में विभागाध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, शाजापुर को रिन्यूअल एनर्जी प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राशि रूपये 1,25,00,000.00 (योग रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख केवल) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार उपकरण के क्रयार्थ ही उक्त राशि का व्यय सुनिश्चित करें, किसी भी दशा में पाठ्यक्रम की आवश्यकता से अधिक क्रय न किया जावे। समस्त क्रय की कार्यवाही मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत ही की जावें।

उपरोक्त व्यय "मांग संख्या-47-2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प (पोलीटेकनिक) विद्यालय-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2667- पोलीटेकनिक संस्थाएँ-22-कार्यालय व्यय-013- कार्यालय उपकरण का क्रय" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)
अपर संचालक (वित्त)
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/यो/05/के/2026 / 118

/भोपाल, दिनांक

20/01/2026

प्रतिलिपि- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. महालेखाकर, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, विभाग, भोपाल।
3. प्राचार्य/नोडल अधिकारी, शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, उज्जैन (पोली. शाजापुर) को संबंधित संस्था हेतु राशि विमोचित की जाती है। संबंधित संस्था द्वारा क्रय की गई सामग्री के देयकों का भुगतान, स्वीकृति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. प्राचार्य, शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, शाजापुर, मध्यप्रदेश की ओर इस निर्देश के साथ कि, भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये क्रय की कार्यवाही पूर्ण कर आपकी नोडल संस्था के माध्यम से बिलों के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. कोषालय अधिकारी, जिला/ उप कोषालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
6. उपविभाग-एक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल। कृपया उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार संबंधित संस्था को आवंटन जारी कर, उपविभाग-5 को अवगत कराये।
7. आदेश नस्ती।

(संजय कुमार)
अपर संचालक (वित्त)
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश